

केंद्रीय एक्साईज आयुक्त, जयपुर

बनाम

श्री गंगानगर बॉटलिंग कंम्पनी

31 अगस्त, 2007

(डॉ. अरिजीत पसायत और एस. एच. कपाडिया, जस्टिस)

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944/केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 आर.(1)(8)/अधिसूचना संख्या 1/93 सी.ई. के तहत जारी की गई छूट अधिसूचना वातित जल अपने उत्पाद पर किसी अन्य निर्माता से संबंधित ब्रांड नाम चिपकाने वाला निर्धारिती कारण बताओं नोटिस निर्धारिती के खिलाफ कार्यवाही को समाप्त करते हुए, प्राधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलीय प्राधिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित अधिसूचना न्यायाधिकरण द्वारा अनुमत निर्धारिती द्वारा दायर अपील के तहत छूट का दावा करने के लिए उत्पाद का वास्तविक निर्माण आवश्यक नहीं है। निर्माता जिसका ब्रांड नाम निर्धारिती द्वारा उपयोग किया जाता है, वह एक लघु औद्योगिकी इकाई है जो निर्दिष्ट उत्पाद के संबंध में अधिसूचना के तहत छूट का लाभ उठाने के लिए पात्र है, विचाराधीन उत्पाद छूट अधिसूचना माल विशिष्ट है-आवश्यकता यह है कि निर्माता निर्दिष्ट वस्तुओं

के संबंध में अधिसूचना के तहत छूट का लाभ उठाने के लिए पात्र होना चाहिए। कोई भी अन्य व्याख्या अधिसूचना को निरर्थक बना देगी। इसलिए न्यायाधिकरण ने उचित रूप से निर्धारिती को अधिसूचना कानूनों की व्याख्या के संदर्भ में छूट के लिए पात्र ठहराया।

उत्तरदाता, कंपनी एक छोटी औद्योगिक इकाई, वातित जल की निर्माता है और ब्रांड नाम 'चित्रा' को चिपकाने के लिए इसे साफ कर दिया जाता है। मैसर्स लिम्का फ्लेवर्स एंड फ्रेगरेंस लिमिटेड जो अधिसूचना संख्या 1/93-सीई दिनांक 28.02.1993 के तहत एस.एस.आई. इकाई के रूप में छूट के लिए पात्र थी। राजस्व ने उक्त ब्रांडेड वस्तुओं की मंजूर पर निर्धारिती से केंद्रीय उत्पाद शुल्क की वसूली का प्रस्ताव करते हुए एक कारण दर्शाओं नोटिस जारी किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि अधिसूचना के तहत छूट ऐसी वस्तुओं के लिए उपलब्ध नहीं थी, सहायक आयुक्त, राजस्व ने निर्धारिती के बचाव को स्वीकार करते हुए कार्यवाही को वापस ले लिया कि यह अधिसूचना संख्या 1/93 के पैरा 4 के उद्देश्यों के लिए पर्याप्त था कि मालिक का ब्रांड नाम भी अधिसूचना के तहत छूट के लिए पात्र होना चाहिए और यह आवश्यक नहीं था कि निर्धारिती वास्तव में समान वस्तुओं का निर्माण करे और ब्रांड का नाम चिपकाने के बाद उनका विपणन करे। राजस्व द्वारा अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष एक अपील की गई, जिसे अपीलीय प्राधिकरण द्वारा अनुमति दी गई थी। निर्धारिती ने

पहले अपील करना पसंद किया। न्यायाधिकरण, जिसे न्यायाधिकरण द्वारा अनुमति दी गई थी, इसलिए वर्तमान अपील प्रस्तुत की।

अपीलार्थी राजस्व ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 4 का वास्तविक उद्देश्य न्यायाधिकरण द्वारा अधिसूचना पर ध्यान नहीं दिया गया है। याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया-

1.1 तत्काल मामले में मालिक का ब्रांड नाम मैसर्स लिम्का इकाई के पास उत्पादों के संबंध में अधिसूचना संख्या 1/93 सी.ई. के तहत छूट का लाभ उठाने की पात्रता थी। इसलिए यह सवाल नहीं उठा कि क्या अधिसूचना के तहत छूट के लिए मालिक का ब्रांड नाम है। (पैरा 5) (672-ए)

1.2 मालिक का ब्रांड नाम भी छूट के लिए पात्र इकाई थी। अधिसूचना के तहत और निर्दिष्ट वस्तुओं का निर्माण था। ऐसा होने पर, न्यायाधिकरण द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को स्वीकार करना होगा। (पैरा 6) (672-ए, बी)

नामटेक सिस्टम्स लिमिटेड बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, नई दिल्ली, (2000) 115 ई.एल.टी. 238 न्यायाधिकरण को संदर्भित किया गया।

1.3 संशोधन के बाद अधिसूचना का खंड 7 छूट से संबंधित है। निर्दिष्ट वस्तुओं और परिस्थितियों में जहां छूट उपलब्ध नहीं है।

अधिसूचना माल विशिष्ट है। यह आवश्यक है कि एक व्यक्ति जो निर्माता हो सकता है, निर्दिष्ट वस्तुओं के संदर्भ में अधिसूचना के तहत छूट के लिए पात्र होना चाहिए। कोई भी अन्य व्याख्या उस उद्देश्य को निरर्थक बना देगी, जिसके लिए अधिसूचना जारी की गई है। (पैरा 10)

1.4 अधिसूचना माल विशिष्ट है। 'निर्दिष्ट' पर जो दिया जाता है सामान- इरादा स्पष्ट है कि प्रासांगिक समय पर, इकाई को 'निर्दिष्ट वस्तुओं' के संबंध में अधिसूचना के तहत छूट के लिए पात्र होना चाहिए। (पैरा 11 व 12) (674-सी व डी)

केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, चंडीगढ़ बनाम मैसर्स खन्ना इंडस्ट्रीज वगैरह (2006)9 एसयूपीपी. एससीआर 725 पर भरोसा किया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपी संख्या 8563/2001

अपील संख्या ई/2922/2000-सी में सीमा शुल्क आबकारी और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के अंतिम आदेश संख्या 11/2001 दिनांक 19.01.2001 से।

के राधाकृष्णन, बीनू टमटा, टी.ए. खान, अजय शर्मा और बी. कृष्णा अपीलांत की ओर से।

विजय हंसारिया, सुनील कुमार जैन प्रत्यर्थी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था।

डॉ. अरिजीत पासायत, जे.

1. अपीलार्थी सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वण(नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली (संक्षेप में 'न्यायाधिकरण') द्वारा दिए गए निर्णय की वैधता पर सवाल उठाते हुए कहता है कि प्रतिवादी जो एक लघु औद्योगिक इकाई है (संक्षेप में एसएसआई यूनिट) अधिसूचना संख्या 1/93-सीई दिनांक 28.02.1993 के संदर्भ में छूट के लिए पात्र है।

2. संक्षेप में पृष्ठभूमि तथ्य इस प्रकार हैं-उत्तरदाता वातित जल के निर्माण हैं। वे एस.एस.आई. इकाइयां हैं। उन्होंने वातित जल का निर्माण किया और इस अवधि के दौरान ब्रांड नाम "चित्रा" चिपकाने के बाद इसे साफ किया। ब्रांड नाम मेसर्स लिम्का फ्लेवर्स एंड फ्रेगरेंस लिमिटेड (संक्षेप में मैसर्स लिम्का) नामक एक अन्य व्यक्ति का था जो अधिसूचना संख्या 1/93-सीई दिनांक 28.02.1993 के तहत छूट (एसएसआई के रूप में) के लिए पात्र था। इन तथ्यों पर कोई विवाद नहीं है। विभाग ने कारण दर्शाओं नोटिस द्वारा 1993-94 में अपीलकर्ताओं द्वारा प्रभावित उपरोक्त ब्रांडेड वस्तुओं की मंजूरी पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क वसूल करने का प्रस्ताव किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि अधिसूचना के तहत छूट ऐसी वस्तुओं के लिए उपलब्ध नहीं थी, क्योंकि ब्रांड नाम के मालिकों द्वारा समान वस्तुओं का निर्माण नहीं किया गया था। पार्टी ने इस नोटिस का विरोध किया। विवाद का निर्णय क्षेत्राधिकार सहायक आयुक्त द्वारा किया गया था, जिन्होंने

निर्धारिती के बचाव को स्वीकार किया और कार्यवाही को छोड़ दिया। बचाव यह था कि अधिसूचना संख्या 1/93 के पैरा 4 के प्रयोजनों के लिए यह पर्याप्त था कि ब्रांड नाम का मालिक भी अधिसूचना के तहत छूट के लिए पा+ होना चाहिए और यह आवश्यक नहीं था कि वे वास्तव में समान वस्तुओं का निर्माण करें और ब्रांड नाम के साथ चिपकाए गए सामान का विपणन करें। इस तर्क को सहायक ने स्वीकार कर लिया। कमिश्नर व सहायक आयुक्त के आदेश की समीक्षा की गई और तदनुसार, विभाग द्वारा आयुक्त (अपील) को एक अपील की गई। निचली अपीलीय प्राधिकरण ने विभाग की अपील को स्वीकार कर लिया। निर्धारिती न्यायाधिकरण के समक्ष अपील को प्राथमिकता देते थे, जैसा कि उपर उल्लेख किया गया है, न्यायाधिकरण ने अपीलों को स्वीकार कर लिया।

3. अपील के समर्थन में, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अधिसूचना के पैरा 4 का वास्तविक उद्देश्य दृष्टिहीन हो गया है।

4. जवाब में, प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि न्यायाधिकरण का दृष्टिकोण असाधारण और अपील बिना योग्यता के पेश की है।

5. हम देखते हैं कि तत्काल मामले में ब्रांड नाम के मालिक मैसर्स लिम्का एसएसआई इकाई के पास उत्पादों के संदर्भ में अधिसूचना संख्या 1/93-सीई के तहत छूट का लाभ उठाने की पात्रता थी, इसलिए, यह सवाल नहीं उठा कि क्या अधिसूचना के तहत छूट के लिए मालिक का ब्रांड नाम है।

6. तत्काल मामले में, ब्रांड नाम का मालिक भी एक इकाई के लिए पात्र था। अधिसूचना के तहत दूट और निर्दिष्ट वस्तुओं का निर्माण था। ऐसा होने पर, न्यायाधिकरण द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को स्वीकार करना होगा।

7. नामटेक सिस्टम्स लिमिटेड बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, नई दिल्ली, (2000) 115 ई.एल.टी. 238 न्यायाधिकरण सी. ई. जी. ए. टी. की बड़ी पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया है कि निर्दिष्ट वस्तु का एक ब्रांड नाम के साथ चिपकाना संख्या 175/86-सीई जैसा कि संशोधित किया गया है, निर्दिष्ट वस्तुओं के लिए उपलब्ध नहीं है। यदि वे किसी ऐसे व्यापारी के ब्रांड नाम या व्यापार नाम के साथ चिपकाए गए हैं जो निर्माता नहीं है। नामटेक सिस्टम्स लिमिटेड के मामले में बड़ी पीठ के फैसले में कहा गया है कि वर्तमान मामले में सी. ई. जी. ए. टी. के द्वारा विचार नहीं किया गया।

8. अधिसूचना संख्या 175/86-सीई दिनांकित 01.03.1986 इस प्रकार है- छोटी इकाइयों को छूट नियम 8 के उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 और अधिसूचना के स्थान पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय में (विभाग राजस्व) सं. 85/85 केंद्रीय राजकोष दिनांक 17 मार्च, 1985 केंद्र सरकार एतद्वारा उत्पाद शुल्क से छूट देती है।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 (1986 का 5) (इसके बाद संदर्भित "निर्दिष्ट माल" के रूप में), और घरेलू उपभोग के लिए या किसी भी वित्तीय वर्ष में अप्रैल के पहले दिन के बाद, एक निर्माता द्वारा एक या अधिक कारखाने-संलग्नक

4. उक्त अनुसूची में निर्दिष्ट अन्य सभी वस्तुएं निम्नलिखित -

ए. अध्याय 9, 24, 31, 51, 52 के तहत विफल होने वाली सभी वस्तुएं 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 41, 73 और 74:

बी. शीर्षक संस्था के अंतर्गत आने वाली सभी वस्तुएं 21.06, 25.04, 36.03, 40.11, 40.12, 40.13, 87.01, 87.02, 87.03, 81.04, 81.05, 87.11, 91.01, 91.02 और 96.13

सी. उपशीर्षक संख्या के अंतर्गत आने वाली सभी वस्तुएं 2101.10, 2101.20, 3304.00, 3305.90, 3307.00, 4005.00, 4006.10, 4008.21 और 9505.10,

डी. कपड़े की बुनाई के लिए प्लास्टिक की चंदन के तेल की पट्टियां या बोरे, पॉलीयुरेथेन फोम और पॉलीयुरेथेन लोम प्रसारण की वस्तुएं टेलीविजन रिसेवर प्रशीतन और वातानुकूलन उपकरण सेट करता है और मशीनरी, और उसके पुर्जे और सहायक उपकरण

9. उक्त अधिसूचना को अधिसूचना संख्या 223/87-सी.ई. द्वारा

संशोधित किया गया था। 22.09.1987 संशोधन इस प्रकार है-

“नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944, केंद्र सरकार एतद्वारा सरकार की अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) संख्या 175/86 केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 1 मार्च 1986, अर्थात् उक्त अधिसूचना में कहा गया है-(1) अनुच्छेद 6 के बाद, निम्नलिखित अनुच्छेद जोड़ा जाएगा अर्थात् 7 इस अधिसूचना में निहित छूट लागू नहीं होगी। एक ब्रांड नाम के साथ निर्दिष्ट माल जहां एक निर्माता चिपकाता है, किसी अन्य व्यक्ति का जो छूट के अनुदान के लिए पात्र नहीं है, यह अधिसूचना बशर्ते कि इस अनुच्छेद में कुछ भी निहित नहीं होगा। घर के लिए साफ की गई निर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में लागू अक्टूबर, 1987 के पहले दिन से पहले की खपत। स्पष्टीकरण-7 के बाद निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा: “स्पष्टीकरण-7 ब्रांड नाम या व्यापार नाम का अर्थ 674 होगा। ब्रांड नाम अथवा व्यापार नाम, चाहे पंजीकृत हो या नहीं, अर्थात् एक नाम या चिन्ह, जैसे प्रतीक, मोनोग्राम, लेबल, हस्ताक्षर या आविष्कार किया गया शब्द या लेख जो इस तरह के निर्दिष्ट के संबंध में उपयोग किया जाता है, इंगित करने के उद्देश्य से माल, या ताकि एक कनेक्शन इंगित करने के लिए ऐसी विनिर्दिष्ट वस्तुओं और किसी व्यक्ति के बीच व्यापार के दौरान उस व्यक्ति की पहचान के साथ या बिना किसी संकेत के ऐसे

नाम या चिन्ह का उपयोग करना।"

10. संशोधन के बाद अधिसूचना का खंड 7 छूट से संबंधित है। निर्दिष्ट वस्तुओं और परिस्थितियों में जहां छूट उपलब्ध नहीं है। अधिसूचना माल विशिष्ट है। यह आवश्यक है कि एक व्यक्ति, जो एक निर्माता हो सकता है, निर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में अधिसूचना के तहत छूट के लिए पात्र होना चाहिए। कोई भी अन्य व्याख्या उस उद्देश्य को निरर्थक बना देगी, जिसके लिए अधिसूचना जारी की गई है।

11. जैसा कि उपर उल्लेख किया गया है, अधिसूचना 'माल विशिष्ट' है। जोर देने वाली बात यह 'निर्दिष्ट वस्तुओं' पर है।

12. इरादा स्पष्ट है कि प्रासंगिक समय पर, इकाई 'निर्दिष्ट वस्तुओं' के संबंध में अधिसूचना के तहत छूट के लिए पात्र होना चाहिए।

13. इस न्यायालय द्वारा आयुक्त में स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई थी। केंद्रीय उत्पाद शुल्क, चंडीगढ़ बनाम मैसर्स खन्ना इण्डस्ट्रीज वगैरह (2006)9 एस.यू.पी.पी. एससीआर 725।

14. अपील योग्यता के बिना है और बर्खास्तगी के योग्य है। जिसे हम निर्देशित करते हैं, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

याचिका खारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी मनोज तिवारी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।